समय सीमा 30/09/2008

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व एवं पुनर्वास विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक-656/777/28/08 भोपाल दिनांक 18/09/2008

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषयः-भारत -पाक विभाजन के फलस्वरूप पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित परिवारों के व्यवस्थापन के संबंध में।

संदर्भः-1-ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-115-8(9)/77,दिनांक 9 जुलाई,1986 ।

2-ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-144/सात/सा2बी/89, दिनांक 18 फरवरी,1994 ।

हाल ही में सिंधी विस्थापितों द्वारा व्यवस्थापन संबंधी कठिनाईयों को कई स्तर पर प्रस्तुत किया गया है। मुख्य रूप से उनके द्वारा अतिक्रमण/अंतरण की गई भूमि जो सामान्यतः व्यावसायिक/ आवासीय उद्देश्य की है,का नियमितीकरण,प्रब्याजि एवं भू-भाटक के भुगतान का विषय रहा हैं। समस्याओं के निराकरण के लिए समस्या का स्वरूप जानना आवश्यक हैं अतः यह विचार किया गया है कि जिलों में सर्वेक्षण कर यह ज्ञात किया जाय कि ऐसे कितने प्रकरण है जिनमें अतिक्रमण एवं अन्य कारणों से व्यवस्थापन नहीं हो पा रहा है।ऐसी भूमि का क्षेत्रफल एवं उसके मूल्य के निर्धारण की जानकारी एकत्रित कर समग्र स्थिति राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत की जाना है।अतः संलग्न प्रपत्रों में व्यक्तिवार जानकारी का संकलन कराया जाय।

2/ यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि इस जानकारी में केवल वे ही मामले सम्मिलित होंगे जो स्थल विस्थापितों के लिए सुरक्षित/ नियत बसाहट/ कालोनियों में शासन ने समय-समय पर कन्वेंश डीड/ पट्टे देकर समूह में बसाया था। प्रपत्र-1 एवं 2 में संकलित जानकारी दिनांक 30/09/2008 तक भेजना सुनिश्चित करें।

17/09/2008

(के.एस.मारण)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पुनर्वास विभाग

प्रपत्र–1

भारत पाकिस्तान विभाजन से भारत आये व्यक्तियों के कब्जे की भूमि के पट्टे का निष्पादन नही होने के कारण

जिले एवं क्षेत्र का नाम ———————— नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत का नाम————————

कंमाक	सिंधी विस्थापित का नाम माता/पिता/पति	सिंधी विस्थापित एवं उसके वैध उत्तराधिकारियों एवं अन्य सिंधी विस्थापित अतिकामकों को अंतरित भूमि के अतिकमण का क्षेत्रफल,नामवार एवं सिंधी विस्थापित से संबंध का विवरण	अतिकमण का स्वरूप आवासीय / व्यवसायिक/ अन्य।	भूमि का बाजार मूल्य	मास्टर प्लान/ आरक्षण के अनुसार व्यवस्थापन में आ रही कठिनाई।	अतिकमण की भूमि का स्वामित्व शासन/ नगर निगम/ निजी/प्राधिकरण किसका है	नवीनीकरण की स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

प्रपत्र–2

सिंधी समुदाय द्वारा उन्हें व्यवस्थापन किये गये क्षेत्र की भूमि पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिये किया गया अतिक्रमण–
जिले एवं क्षेत्र का नाम————————नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत का नाम————————

कंमाक	संस्था का पंजीयन कंमांक एवं दिनांक	भूमि का क्षेत्रफल एवं मूल्य आवासीय/व्यवसायिक आरबीसी के प्रावधान अनुसार	मास्टर प्लान/ आरक्षण के अनुसार भूमि के उपयोग का उद्देश्य	सार्वजनिक प्रयोजन का प्रकार जैसे धर्मशाला,स्कूल,अस्पताल,मंदिर आदि	कलेक्टर का स्पष्ट अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)